न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास भंवर लाल मेहरा आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 209/2020/(2020–00209) RAA जिला–अजमेर

सांवरा पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी।
2. सरपंच ग्राम पंचायत कनौज, तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर क्रमांक कअ/एफ.
12(सी)/राजस्व/18/6297 दिनांक 1–5–2018

————

उपस्थित– 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 11–10–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 176 रकबा 3.38 हैक्टेर वाके स्थित ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी के संबंध में एक वाद राजस्थान सरकार के विरूद्ध 17–11–2017 को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें आगामी दिनांक पेशी दिनांक 25–6–2018 नियत है जिसके संबंध में राज्य सरकार से जवाब अपेक्षित है। उक्त तथ्यो को नजरअन्दाज करते हुए जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 1–5–2018 से विवादित आराजियात को सिवायचक से चारागाह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध मे अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत उद्घोषणा खातेदारी का वाद विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी के पूर्वजों के कब्जे काश्त की आराजी है तथा जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 1–5–2018 से व्यथित पक्षकार है। न्यायहित में जिला कलक्टर अजमेर के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। चूंकि अपलार्थी का विवादित आराजियात में हित निहित है और उक्त आदेश से अपीलार्थी हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी केकड़ी व ग्राम पंचायत कनौज की अभिशंषा के आधार पर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी की विवादित आराजियात खसरा नम्बर 176 रकबा 3.38 हैक्टर भूमि सिवायचक से चारागाह आरक्षित करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी के विवादित आराजियात पर कोई हक अधिकार निहित नहीं होने से वह हितबद्ध पक्षकार नहीं है उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है जिससे अपीलार्थी का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 सीपीसी पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी का धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष एक वाद दिनांक 17–11–2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 176 रकबा 3.38 हैक्टर वाके गाम देवलियाखुर्द पर अपीलार्थी उनके पूर्वजों के समय से ही निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी जागीरदारी उन्मूलन के समय से ही अपीलार्थी के पूर्वज काबिज काश्त होने से तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी की खातेदारी पाने का अधिकारी है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष उक्त वाद विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 25–6–2018 नियत है यह न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी की किस्म बिना

अपीलार्थी को सुने परिवर्तित नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष विचाराधीन वाद में राज्य सरकार की ओर से पेरोकार सरकार जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु समय चाह रहे है दूसरी ओर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये एवं सुने आक्षेपित आदेश दिनांक 1–5–2018 पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–5–2018 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रथ्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ग्राम देवलियाखुर्द ग्राम पंचायत कनौज तहसील केकड़ी के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 175 रकबा 1.89 हैक्टर किस्म पे.ता. भूमि व खसरा नम्बर 176 रकबा 3.38 हैक्टर किस्म बारानी 3 कुल किता 2 की कुल 5.27 हैक्टर भूमि सिवायचक से चारागाह आरक्षित करने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित करने के आदेश पारित किये है। अपीलार्थी का विवादित आराजियात पर कोई हक अधिकार निहित नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष दावा विचाराधीन है। सरपंच ग्राम पंचायत की अनुशंषा के आधार पर ही विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही की गई है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–5–2018 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि काश्तकार को भूमि आवंटन से संबंधित समस्त प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसमें आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर सिवायचक भूमि जो कब्जे रहित हो उसको आवंटन करने का प्रावधान है। जिस खातेदार का सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण होता है तो उसको नियमन कमेटी द्वारा नियमन किया जा सकता है जिसका नियमन होगा उसको ही खातेदारी अधिकारी मिलेगी। जिस खातेदार का नियमन नहीं है और कब्जा है तो उसका अवैध कब्जा माना जायेगा। संबंधित खातेदार काश्तकार खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नहीं है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट अनुशंसा सहित प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ग्राम देवलियाखुर्द ग्राम पंचायत कनौज तहसील केकड़ी के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 175 रकबा 1.89 हैक्टर किस्म पे.ता. भूमि व खसरा नम्बर 176 रकबा 3.38 हैक्टर किस्म बारानी 3 कुल किता 2 की कुल 5.27 हैक्टर भूमि सिवायचक से चारागाह आरक्षित करने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित करने के आदेश पारित किये है। साथ ही चारागाह से पुनः सिवायचक में तब्दील करने का क्षैत्राधिकार राज्य सरकार को है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक

1–5–2018 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, अजमेर पारित आदेश पत्र क्रमांक कअ/एफ.12(सी)/राजस्व/18/6297 दिनांक 1–5–2018 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर